न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

आज दुष्यन्त कुमार सिंह एड. द्वारा आज दि. 13/1/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 13/1/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

10रु. COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES — विलोपित

A-202-III-17

278 उर्मिला पटेल पुत्री रामाधार पटेल निवासी ग्राम कोटरी पो0 टिकुरी जं.पं. मानपुर तह0 मानपुर जिला उमरिया म.प्र. -----------अपीलार्थिया

बनाम

1. कलेक्टर उमरिया जिला उमरिया म.प्र.
2. जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया जिला उमरिया म.प्र.

----------------रेस्पा0गण

अपील आवेदन पत्र बावत कलेक्टर महोदय उमरिया के निर्देश दिनांक–24/08/2016 एवं जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया के पत्र कंमाक/सतर्कता/एफ.आई.आर/2016/4043 दिनांक–05/09/2016 एवं कंमाक/सतर्कता/एफ. आई.आर/2016/4429 दिनांक–19/09/2016 विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने बावत

अपील आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 म.प्र. पंचायत राज अधि. 1993 म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 सहपठित नियम 36(4)

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–3

मान्यवर,

अपीलार्थिया उर्मिला पटेल पुत्री रामाधार पटेल निवासी ग्राम कोटरी पो. टिकुरी जं.पं. मानपुर जिला उमरिया म.प्र. की ओर से म.प्र. पंचायत राज अधि. एवं संविदा की शर्ते नियम 2005 के तहत म.प्र. पंचायत राज अधि. 1993 की धारा 91 के तहत अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय हैः–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

2

प्रकरण क्रमांक— अपील—202—दो / 2017 जिला—उमरिया

उर्मिला पटेल विरूद्ध कलेक्टर उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31—01—19	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री डी. एस. चौहान को ग्राहयता के तर्क पर दिनांक 07.01.2019 को सुना गया.।	
	2/ आवेदिका के अभिभाषक ने कलेक्टर उमरिया के निर्देश दिनांक 24—08—2016 एवं जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया के पत्र क्रमांक / सतर्कता / एफ.आई.आर / 2016 / 4043 दिनांक 05—09—2016 एवं क्रमांक / सतर्कता / एफ.आई.आर / 2016 / 4429 दिनांक 19—09—2016 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने हेतु पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 91 एवं म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें नियम 2005 की सहपठित नियम 36(4)) के अंतर्गत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।	
31.1.19	3/ मेरे द्वारा आवेदिका अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया । कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ज़िला उमरिया ने कलेक्टर उमरिया के निर्देश दिनांक 24—08—2016 के पालन में आवेदिका के विरूद्ध फर्जी डी.एड. की अंकसूची (बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय) के आधार पर नौकरी प्राप्त करने व अवैधानिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के का आरोप पाते हुये विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड, जिला—उमरिया को एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने हेतु अधिकृत किया, जिस पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,	

विकासखण्ड मानपुर, जिला–उमरिया ने उचित कार्यवाही करते हुये बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त किये जाने पर आवेदिका उर्मिला की फर्जी डी.एड. की अंकसूची फर्जी पाते हुये आवेदिका के विरूद्ध कार्यवाही की गई। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें नियम 2005 सहपठित नियम 36(4)) की धारा 91 अपील प्रस्तुत की गई है।

4/ मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 91 एवं मध्यप्रदेश संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 में कलेक्टर द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी के अंतर्गत सुनवाई के अधिकार राजस्व मण्डल को नहीं दिये गये है। इस कारण से यह अपील निरस्त की जाती है एवं इस न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में दिनांक 16–01–2017 को कलेक्टर, जिला–उमरिया के निर्देश ~~क्रमांक~~ दिनांक 24–08–2016 एवं जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक/सतर्कता/एफ.आई.आर./2016/4043, उमरिया दिनांक 05–09–2016 एवं पत्र क्रमांक/सतर्कता/एफ.आई. आर/2016/4429, उमरिया दिनांक 19–09–2016 के क्रियांन्वयन को उक्त से 3 माह तक स्थागित किया गया था। समय अवधि व्यतीत हो जाने के कारण वह स्थगन आज अस्तित्व में नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आग्राहय की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। उभयपक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

31.1.19
(आर.के. जैन)
सदस्य